

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1211/2010/उदयपुर

2. अपील संख्या - 1212/2010/उदयपुर

मैसर्स राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड,
उदयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित :

श्री गोपीलाल ऐरन, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02/03/2016

निर्णय

1. ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 111/RST/09-10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 25.3.2010 एवं अपील संख्या 157/RST/08-09 में पारित किये गये आदेश दिनांक 20.4.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।
2. इन दोनों प्रकरणों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान निहित होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा रॉकफॉस्फेट मिनरल उत्खनन के लिये कार्य ठेकेदारों को ठेके पर अवार्ड किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा ठेकेदार के बीच अनुबंध के आधार पर आवश्यकतानुसार एकस्प्लोसिव (Explosive) को Blasting Site तक उपलब्ध कराया जाता है। अपीलार्थी द्वारा ठेकेदार को उपलब्ध कराया जाने वाला एकस्प्लोसिव घोषणा-पत्र 'सी' के समर्थन पर आयात किया जाता है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, उदयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) ने अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये एकस्प्लोसिव को विक्रय मानते हुए कर एवं ब्याज का आरोपण किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

अपील संख्या	क.नि.आ.दिनांक	कर निर्धारण वर्ष	आरोपित कर	ब्याज
1211/2010	29.03.2007	2004-05	46,87,270	12,78,541
1212/2010	05.09.2008	2005-06	56,68,957	11,08,823

लगातार.....2

4. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध पेश की गई अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये द्वितीय अपीलें पेश की गयी हैं।
5. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा ठेकेदार को उपलब्ध कराये गये एक्स्प्लोसिव के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण व दस्तावेजों पर बिना विचार किये ही बिक्री मानने की त्रुटि की है तथा गलत रूप से बिक्री माना है। अपीलीय अधिकारी ने भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करने में त्रुटि की है। अपीलीय अधिकारी ने संव्यवहार में बिक्री के घटकों की विद्यमानता नहीं होने के उपरान्त भी बिक्री की घटकों की विद्यमानता मानकर गलती की है। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी ने तथ्यों को गलत रूप से समझने व निर्णयों का गलत निर्वचन के आधार पर करारोपण किया है व पुष्टि की है। कर निर्धारण अधिकारी ने यह तथ्य गलत रूप से अवलोकन किया है कि अपीलार्थी का दिया गया स्पष्टीकरण पश्चातवर्ती सोच है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 05.09.2008 में 'Supplied' शब्द को आधार माना है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। अपीलार्थी ने एक्स्प्लोसिव का possession (कब्जा) कभी भी ठेकेदार को नहीं दिया। अपीलार्थी ने 'करारनामा' शर्तों के तहत एक्स्प्लोसिव कार्य को किया तथा ब्लास्टिंग स्थल तक सारी सामग्री अपने परिवहन साधनों से पहुंचाई थी। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में यह गलत लिखा है कि ठेकेदार को माइन्स में खनन हेतु सप्लाई करता है। यह तथ्य सही नहीं है, क्योंकि टेंडर एग्रीमेंट की शर्त संख्या 4.2.5(ii) निम्न प्रकार है :-

"Contractor has to accept and confirm that blasting will be taken up by the Company at his cost and risk and in accordance with the terms and conditions of the tender & contract document."

इसी प्रकार टेंडर एग्रीमेंट की शर्त संख्या 4.6.3(a) निम्न प्रकार है :-

"The Company shall make available the explosives, blasting accessories, its transportation to the blasting site, blasting crew including blasters and will conduct the blasting."

कम्पनी एवं ठेकेदार के बीच अनुबंध के आधार पर आवश्यकतानुसार एक्स्प्लोसिव उपलब्ध कराती है, गलत लिखा है तथा इस तथ्य को करारनामा का बिन्दु संख्या 4.6.3(a) गलत ठहराता है।



लगातार.....3

इसी प्रकार ".....उपयोग में लाई गई एक्स्प्लोसिव सामग्री का मूल्य ठेकेदारों से भुगतान के समय प्राप्त किया है।" यह तथ्य भी गलत है, क्योंकि भुगतान कभी भी प्राप्त नहीं किया है, वरन् करारनामे के तहत एक समायोजन मात्र है।

अपीलीय अधिकारी का आदेश में यह लिखना भी गलत है कि ".....विस्फोटक सामग्री ठेकेदार ने कम्पनी के अधिकृत भण्डार से प्राप्त की है। अतः माल का हस्तान्तरण कम्पनी एवं ठेकेदार के बीच हुआ है।" करारनामे के क्लॉज 4.2.5(ii) "Contractor has to accept and confirm that blasting will be taken up by the Company at his cost and risk and in accordance with the terms and conditions of the tender & contract document." व क्लॉज 4.6.3(a) "The Company shall make available the explosives, blasting accessories, its transportation to the blasting site, blasting crew including blasters and will conduct the blasting." के क्रम में गलती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय कार्यपालक इंजीनियर पी.डब्ल्यू.डी. बीकानेर बनाम राजस्थान टैक्स बोर्ड, अजमेर व अन्य में भी माल एक्स्प्लोसिव, जो विशिष्ट प्रकृति का है, विचाराधीन माल नहीं था। अपीलार्थी के एग्रीमेंट के विभिन्न क्लॉज कम्पनी को भिन्न स्थिति में रखते हैं तथा इन प्रकरणों से इसकी समानता नहीं होने के कारण लागू होने योग्य नहीं है।

अपीलार्थी ने हिन्दुस्तान ज़िंक के प्रकरण से अपने तथ्यों को भिन्न बताया है कि उसमें आपूर्ति, दरें, इत्यादि एग्रीमेंट में अंकित थी, जबकि अपीलार्थी के प्रकरण में ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। आपूर्ति नहीं है तथा माल की सुपुर्दगी नहीं है तथा प्रतिफल की राशि नहीं है। 'एक्स्प्लोसिव' पर स्वामित्व व कब्जा हमेशा अपीलार्थी कम्पनी का रहता है। अपीलार्थी स्वयं एक्स्प्लोसिव का संचालन करती है। एक्स्प्लोसिव कम्पनी के निजी वाहनों में रहता है तथा कभी इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा ठेका मूल्य में से ऐसी सेवा के बदले 'Frozen price' को घटाया जाता है। ठेका मूल्य को समेकित रखना अपीलार्थी के कुल संकर्म संविदा का कार्य को देखते हुए रखा जाता है। अपीलार्थी द्वारा ठेकेदार को कुछ भी मूर्त रूप में स्थानान्तरित नहीं किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक ने उक्त कथन के साथ अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।



लगातार.....4

6. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों व अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

8. हस्तगत प्रकरण वर्ष 2004-05 व 2005-06 से सम्बन्धित है। दोनों कर निर्धारण वर्षों में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के प्रावधान लागू होते हैं। प्रकरणों में विवादित बिन्दु यह है कि अपीलार्थी ने प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के मध्यनजर खनन कार्यों को करने के लिये एक्सप्लोसिव का उपयोग/आपूर्ति जो ठेकेदार को की जाती है, ठेकेदार के द्वारा प्रयोग में ली जाती है, वह राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत बिक्री है अथवा नहीं ?

9. अपीलार्थी कम्पनी ने वर्ष 2004-05 के दौरान कुल एक्सप्लोसिव रुपये 51,50,708/- व रुपये 1,96,81,790/- का एवं 2005-06 के दौरान रुपये 40,88,430/- व रुपये 2,66,08,906/- का हस्तान्तरण ठेकेदार को किया है तथा यह राशि ठेकेदार को किये गये भुगतान राशि में से काटी गयी है।

10. राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 में धारा 2 की उपधारा (38) का क्लॉज (ii) निम्न प्रकार है :-

2(38) "sale" with all its grammatical variations and cognate expressions means every transfer of property in goods by one person to another for cash, deferred payment or other valuable consideration and includes-

- (1) a transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in goods for cash, deferred payment or other valuable consideration;
- (2) a transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;
- (3) any delivery of goods on hire purchase or other system of payment by instalments;
- (4) a transfer of the right to use goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;
- (5) a supply of goods by an unincorporated association or body of person to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration; and




- (6) a supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being foods or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating), where such supply is for cash, deferred payment or other valuable consideration;

11. माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय (2004) 09 टैक्स अपडेट 251 कार्यपालक इंजीनियर, सी.पी.डब्ल्यू.डी., बीकानेर बनाम राजस्थान टैक्सेशन बोर्ड, अजमेर में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

Rajasthan Sales Tax Act, 1994, section 2(14) - Constitution of India, Articles 285 and 289 - Whether a supply of materials by the Union of India to its contractors under agreements of works contract would amount to a sale so as to attract the provision of the Sales Tax Act? Held, Yes and whether in terms of the language of the definition of the dealer under section 2(14) of the Rajasthan Sales Tax Act Union of India can be a dealer? Held, Yes.


The Union through its agency Central Public Works Department (CPWD) undertook the work of erection of barbed wire fencing along Indo Pak boarder from 1991 onwards in the State of Rajasthan. In order to get the construction work done the appellant awarded contracts to various contractors and under the terms and conditions of the said contract it had agreed to supply the contractors materials such as cement, barbed wire, M.S. angles etc. The High Court of Rajasthan held that the transfer in question amounted to sale as defined under the Act and the State tax being not a direct tax on the property of the Union as contemplated under Article 285 of the Constitution the same is liable for levy of Sales Tax.

While deciding Civil Appeals filed by the Union of India, the Supreme Court of India held that :-

(i) in the instant case by the use or consumption of material supplied in the work of construction, there was passing of property and by virtue of receipt of value of such transferred property by way of adjustment in bills the consideration has also passed which in our opinion satisfies the definition of 'sale' in the local Sales Tax Act and

(ii) even the argument that in terms of the language of the definition of the dealer under section 2(14) of the Rajasthan Act appellants cannot be a dealer will also have to be rejected.

12. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सेल्स टैक्स रिवीजन नं० 104/2007, 105/2007, 117/2007, 118/2007 व 119/2007 हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, उदयपुर निर्णय दिनांक 29.02.2008 में दी गयी व्यवस्था निम्न प्रकार है :-

".....In case in hand, the property was delivered to the contractor. The property was for use in the works contract only. The cost of explosive was separately charged from the contractor by deducting the value of the explosive from bills of contractor. Therefore, all the ingredients of sale as required by the sub-clause (ii) of sub-section 38 of Section 2 of the Act of 1994 are present in the transaction. Hence, the transaction in this case is sale of goods by petitioner to the contractor in view of unambiguous and clear definition of sale given in Section 2 (38)(ii) of the Act of 1994."

13. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों में निर्विवादित है कि अपीलार्थी द्वारा ठेकेदारों को माइनिंग/खनन कार्य करने के लिये ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है, ठेकेदार को माइनिंग/खनन कार्य सम्पन्न करने के लिये एग्रीमेंट के तहत एक्सप्लोसिव ट्रांसफर किये जाते हैं। स्थानान्तरित माल सम्पत्ति का कब्जा ठेकेदार को हस्तान्तरित नहीं करने का कोई प्रभाव संव्यवहार की प्रकृति पर नहीं पड़ेगा। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1989) 1 एस.सी.सी. 335 एन.एम.गोयल एण्ड कम्पनी बनाम एस.टी.ओ. में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

".....by use or consumption of material in the work of construction, there was passing of property in the goods to the assessee from PWD. By appropriation and by the agreement, there was a sale as envisaged in terms of clause of the contract." Here in present cases also, it is not in dispute that the explosives were handed over physically to the contractors and the petitioner-Company received the cost of explosives from the contractor by deducting the cost of explosives from bills of contractor, therefore, with the passing of the goods in the hands of the contractors from the petitioner for consideration, the transaction of sale stands concluded. Transaction is not dependent upon the ultimate use of the goods, transferred to the contractors, as the goods which may have been sold to the contractors for valuable consideration, may be returned to the Principal, if remained unused and the goods in different form may be returned to the Principal and the goods may be consumed or exhausted in the works contract. The transaction of sale completes with the passing of the goods for consideration in the hands of the contractors. Hon'ble the Supreme Court even in a case rejected the contention of the assessee that title in the property never got transferred to the contractor and the contractor remained only a custodian of such materials and held that the transaction is sale."

".....Therefore, the fact whether the petitioner could have sold the explosives to the contractor in view of the restrictions under the Explosives Act is totally irrelevant and immaterial."



 लगातार.....7


14. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों, तथ्यात्मक विवेचना व तथ्यात्मक परिदृश्य के आधार पर यह निष्कर्षित किया जाता है कि अपीलार्थी अवार्डर ने अपने द्वारा आदेशिक कार्य आदेश की क्रियान्विति के लिये एक्स्प्लोसिव ठेकेदार को सप्लाई किया है तथा उनकी कीमत ठेकेदार को किये गये भुगतान में से कटौती की जाकर वसूल की गयी है। राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 15 की अनुपालना में बिक्री पर प्रथम बिन्दु पर करदेयता है। अवार्डर के द्वारा प्रथम बिक्री की गई है। एक्स्प्लोसिव की सप्लाई में बिक्री के घटक विद्यमान हैं। अवार्डर द्वारा ठेकेदार को एक्स्प्लोसिव की बिक्री की जाना पाया जाता है। अतः करारोपण विधिसम्मत है।

15. उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के एक्स्प्लोसिव का विक्रय होने से इस पर करारोपण किये जाने में तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त करारोपण की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

16. परिणामस्वरूप अपीलार्थी कम्पनी की दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

17. निर्णय सुनाया गया।


(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य


(मनोहर पुरी)
सदस्य